न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0नं0 :– 31/2022
निर्णय दिनांक :– 28.11.2024
बइजलास :– राकेश कुमार ।। (आर0ए0एस0)

1. मंजू देवी पत्नि श्री रमेशचन्द जाति हरिजन निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. भोमसिंह पुत्र श्री मूल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम परवण तहसील फागी जिला जयपुर।
2. कानसिंह पुत्र श्री गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम परवण तहसील फागी जिला जयपुर।
3. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम परवण तहसील फागी जिला जयपुर।
4. रामसिंह पुत्र श्री गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम परवण तहसील फागी जिला जयपुर।
5. केशन्ती मीणा पत्नि राकेश जाति मीणा निवासी प्लाट नं. 82 नरेन्द्र नगर स्वेज फार्म न्यू सांगानेर रोड, सोडाला जयपुर।
6. मीरा देवी पत्नि रामावतार जाति मीणा निवासी ग्राम डाबिच तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
7. हंसा देवी पत्नि सीताराम जाति मीणा निवासी ग्राम डाबिच तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
8. जगदीश पुत्र श्री रायचन्द जाति बैरवा निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
9. प्रभात पुत्र श्री रायचन्द जाति बैरवा निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
10. रामदयाल पुत्र श्री रायचन्द जाति बैरवा निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
11. कौशल्या पुत्र रोडू जाति जाट निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
12. ग्यारसी देवी पुत्री रोडू जाति जाट निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
13. मोहन पुत्र रोडू जाति जाट निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
14. राधेश्याम पुत्र घासी जाति जाट निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
15. रामरतन पुत्र छीतर जाति जाट निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
16. रामसहाय पुत्र रोडू जाति जाट निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

17. लालाराम पुत्र रोडू जाति जाट निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
18. सुप्यार देवी पत्नि रोडू जाति जाट निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
19. सुरजकरण पुत्र रोडू जाति जाट निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
20. सीताराम पुत्र घासी जाति जाट निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
21. घासी पुत्र श्री बक्स जाति जाट निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
22. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता :– श्री बद्रीनारायण चौधरी वकील प्रार्थी
श्री दौलतराम जाट वकील अप्रार्थीगण 11 लगायत 20
श्री मन्ना लाल चौधरी वकील अप्रार्थीगण 8, 9, 10
पैरोकार सरकार अप्रार्थी सं. 22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट.

निर्णय

दिनांक:– 28.11.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी आराजी भूमि जिसके खसरा नम्बर 202/2 रकबा 1.4795 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 1.4795 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम लाखावास तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित आराजी की प्रार्थीया एक मात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया की आराजीयात के लगवा अप्रार्थीगण आराजी खसरा नं. 186, 196, 200/2, 202/1, 2023, 202/383, 202/384 की आराजी भूमि स्थित है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण का मूल खसरा नं. 202 था जिसका राजस्व रिकार्ड में तकासमा/तरमीम होने उपरान्त वर्तमान नम्बर कायम प्रार्थीया 202/2 कायम हुए जिन पर प्रार्थीया मौके पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रही है। तथा अप्रार्थीगण अपने अपने नाम के खसरा नम्बरान के आराजी भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के कब्जे काश्त की भूमि में मेर कोर को लेकर अप्रार्थीगण जब विवाद उत्पन्न करने लगे एवं अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने लगे तो प्रार्थीया ने आराजी भूमि का विधिवत रूप से

लगातार.......................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–जयपुर

सीमाज्ञान दिनांक 16.05.2022 को श्रीमान तहसीलदार फागी के आदेश क्रमांक/एल. आर/2022/1428–29 दिनांक 20.04.2022 की पालना में ग्राम लाखावास के आराजी खसरा नं. 202/2 कुल किता 01 कुल रकबा 1.4795 हैक्टेयर भूमि का सीमाज्ञान करने हेतु पटवारी हल्का किशोरपुरा मौके पर पहुंचा और मौके पर उपस्थित खातेदारान व अन्य ग्रामीणों की उपस्थित में उक्त खसरा नं. 202/2 का सीमाज्ञान प्रारम्भ किया गया। सर्वप्रथम खसरा नं. 190 गै0 मु0 चाह. से जरीब चलाकर खसरा नं. 202/2 के उत्तरी पश्चिमी कोने पर निशान कायम किया जिसे खसरा नं. 207 गै0 मु0 चाह से जरीब चलाकर पुख्ता किया गया इस पुख्ता बिन्दु से तर्क दक्षिख जरीब चलाकर खसरा नं. 190 गैर. मु. चाह से जरीब चलाकर पुख्ता बिन्दुओं से जरीब चलाकर खसरा नं. 202/2 के विभिन्न कोने कायम किये गये इस प्रकार खसरा नं. 202/2 सीमाज्ञान पूर्ण किया गया फर्द मौका तैयार कर पढाया सुनाया गया तथा उपस्थित मोतबिरान के हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी करवाई गई। प्रार्थीया के आराजी खसरा नं. 202/2 के अप्रार्थीगण पडोसी खातेदार काश्तकार है, क्योंकि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि के मौके पर कोई पुराने सीमा चिह्न कायम नहीं होने के कारण प्रार्थीया की खातेदारी भूमि के अप्रार्थीगण/पडोसी खातेदारों में सीमा विवाद उत्पन्न कर जबरन प्रार्थीया की भूमि को अपनी आराजी में मिलाकर अपने हिस्से से अधिक भूमि में काश्त करना चाहते है। इसलिए प्रार्थीया द्वारा अपनी आराजी का सीमाज्ञान करवा लिया गया है। जो सीमाज्ञान की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया अनपढ़ महिला होने व अन्यत्र गांव में निवास करती है, इसलिए प्रार्थीया अपने आराजी की सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान दिनांक 16.05.2022 के आधार पर अपनी खातेदारी आराजी के चारों ओर हदूदू कायम कर तारबंदी करवाना चाहती है ताकि प्रार्थीया अपनी आराजी भूमि को अपनी आवश्यकता अनुसार उन्नत व उपजाऊ बना सके तथा आराजी पशुओं से फसल की सुरक्षा की जा सके। प्रार्थीया द्वारा पटवारी हल्का किशोरपुरा से करवाये गये सीमाज्ञान के पश्चात पटवारी हल्का किशोरपुरा द्वारा बताया गये सीमा चिह्न पर पत्थरगढ़ी होना अत्यन्त आवश्यक है ताकि तारबंदी सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी पश्चात भविष्य में सीमा चिह्नों को

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद पडोसी खातेदारान के साथ विवाद उत्पन्न नहीं हो सके। इस कारण प्रार्थीया को यह पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है। सीमाज्ञान दिनांक 16.05.2022 को किये गये सीमाज्ञान के अनुसार यदि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढ़ी कर दी जाती है तो मौके पर उत्पन्न विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थीया को न्याय मिल सकेगा। प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी को सुनन एवं निस्तारण करने का मान्य न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जबाब पेश कर बताया कि ग्राम लाखावास की जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2020) से स्थायी के खाता सं. 78 के खसरा नं. 202/2 रकबा 1.4795 की खातेदारी मंजू देवी पत्नि रमेशचन्द हिस्सा पूर्ण जाति हरिजन सा. फागी दर्ज रिकार्ड है।

अप्रार्थीगण संख्या 8, 9, 10 की ओर से वकील श्री मन्ना लाल चौधरी ने जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब मे मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

अप्रार्थीगण सं. 11 लगायत 20 की ओर से वकील श्री दौलतराम जाट ने जवाब उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब मे बताया की उक्त सीमाज्ञान फर्द मौका रिपोर्ट अप्रार्थी सं0 11 लगायत 20 की अनुपस्थिति मे बनाई गई है न ही अप्रार्थीगण ने उक्त सीमाज्ञान के कायम किये गये निशानात को मिटाया है और न ही अप्रार्थीगण को उक्त सीमाज्ञान की सूचना व रिपोर्ट दी गई। प्रार्थीगण ने झूठा व मनगढत वाक्या पेश किया है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 7 व 21 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की हस्तगत प्रकरण सीमाज्ञान पत्थरगढी का पेश किया है।

लगातार.................5

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

उक्त विवादगस्त आराजी का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। पत्रावली मे संलग्न फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति अनुसार उक्त विवादित आराजी का सीमाज्ञान पूर्व मे दिनांक 16.05.2022 को हो चुका है, लेकिन प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है कि पडौसी खातेदार उक्त सीमाज्ञान को नही मानकर प्रार्थीया के कब्जे काश्त मे दखलअन्दाजी करते है तथा प्रार्थीया से लडाई झगडा करते है। पत्थरगढी नही होने से पडौसी खातेदार विवाद करते है। इसलिये प्रार्थी अपनी सीमाओं की पत्थरगढी करवाना चाहती है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदारो से विवाद होना बताया है। जबकि अप्रार्थी सं0 11 लगायत 20 ने अपने जबाब मे उक्त सीमाज्ञान पर हस्ताक्षर होने से मना किया है तथा उक्त रिपोर्ट की जानकारी नही होने का कथंन किया है। प्रार्थीया व पडौसी काश्तकारों के मध्य शान्ति बनाऐ रखने हेतु पडौसी खातेदारो की मौजुदगी मे पुनः सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी 202/2 रकबा 1.4795 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 1.4795 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम लाखावास तहसील फागी हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात का पडौसी खातेदारो को नोटिस जारी कर पडोसी खातेदारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पुनः सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। पत्थरगढ़ी केवल सीमाचिह्न की जानकारी मात्र हेतु की जावें। कब्जे सम्बंधी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/11/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू